

सं.ई. 11016/02/2018-हिन्दी / 1910-1950

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

\*\*\*\*

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,  
नई दिल्ली, दिनांक 14.09.2018

**विषय: राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 74वीं बैठक का आयोजन।**

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 74वीं बैठक आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी की अध्यक्षता में दिनांक 26.09.2018 (बुधवार) को 11.30 बजे (पूर्वाह्न) समिति कक्ष, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली में होनी निश्चित हुई है। बैठक की कार्यसूची संलग्न है। कृपया इस बैठक में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

(एम.सी. भारद्वाज)

संयुक्त निदेशक (रा.भा.)

दूरभाष: 23719033

संलग्नक : यथोपरि  
सेवा में,

1. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सभी सदस्य (सभी उपसचिव, अवर सचिव तथा अनुभाग अधिकारी)।
2. आर्थिक सलाहकार एवं राजभाषा प्रभारी, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के निजी सचिव को सूचनार्थ।
3. उप-सचिव (नीति), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली सिटी सेन्टर-11 भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001

भारत सरकार

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.09.2018 को 11.30 बजे होने वाली 74वीं बैठक की कार्यसूची

म. सं.	विषय
1	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 26.06.2018 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।
2	दिनांक 26.06.2018 को संपन्न बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई।
3	क्रमशः दिनांक 30.06.2018, 31.03.2018 तथा 31.12.2017 को समाप्त तिमाहियों के आधार पर जल संसाधन, न.वि. और गं. सं. मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग की अनुभाग-वार तुलनात्मक स्थिति।
4	क्रमशः दिनांक 30.06.2018, 31.03.2018 तथा 31.12.2017 को समाप्त तिमाहियों के आधार पर जल संसाधन, न.वि. और गं.सं. मंत्रालय के संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की संगठन/ कार्यालय-वार तुलनात्मक स्थिति ।
5	द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का सफल आयोजन
6	राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में विचारणीय मुद्दों के रूप में निर्धारित विषयों अर्थात् धारा 3(3) के अंतर्गत सभी कागजात द्विभाषी जारी करने, हिन्दी में पत्राचार की स्थिति, राजभाषायी निरीक्षणों की स्थिति के बारे में विचार विमर्श ।
7	डायरी/डिस्पैच रजिस्ट्रों(कंप्यूटर पर किए गए पंजीकरण सहित) में "क" "ख" और "ग" क्षेत्रों का उल्लेख किया जाना। तिमाही प्रगति रिपोर्ट में ई-मेल के आकड़े भी शामिल किया जाना।
8	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मुद्दा ।

जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते।

\*\*\*\*\*